

भाग V : संसद

Part V : The Parliament

अनुच्छेद 79 – 122

द्विभाषी अध्ययन प्रस्तुति · तथ्य-जाँच एवं सुधार सहित

Bilingual study presentation · with fact-check and corrections

१) संसद

२) लोकसभा

३) राज्यसभा

४) कार्यवाही

५) निधि (Fund)

Audn wise

"अनुच्छेद"

साधारण (OB)

धन (MB)

वित्त (FB)

संचित निधि (CFI)

आवृत्ति निधि (CFI)

लोक लेखा निधि (PA)

1) सामान्य परिचय व संरचना (Background)

संसद → भाग 5 → अनुच्छेद 79 से 122

"Most imp part"

द्विसदनीय विधायिका

Bicameral leg.

विधायिका

भारत (संसद)

ब्रिटेन (संसद)

अमेरिका (कांग्रेस)

राज्यसभा (80)

लोकसभा (81)

हाउस ऑफ लॉर्ड्स

हाउस ऑफ
कॉमन्स

सीनेट

हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव्स

- उच्च सदन ✓
- स्थायी सदन ✓
- संघीय सदन ✓
- राज्य परिषद ✓
- द्वितीय सदन

- निम्न सदन ✓
- अस्थायी सदन ✓
- लोकप्रिय सदन ✓
- जनता सदन ✓
- प्रथम सदन ✓

- उच्च सदन

- निम्न सदन

- उच्च सदन

- निम्न सदन

सरकार (Govt.)



3 अंग / 3 wings

विधायिका (L)

(law making)

कार्यपालिका (Ex.)

कानून लागू (law-imp)

न्यायपालिका (J)

law

मोक्ष (Int)

न्याय (J)

दण्ड (Law protect)

UK

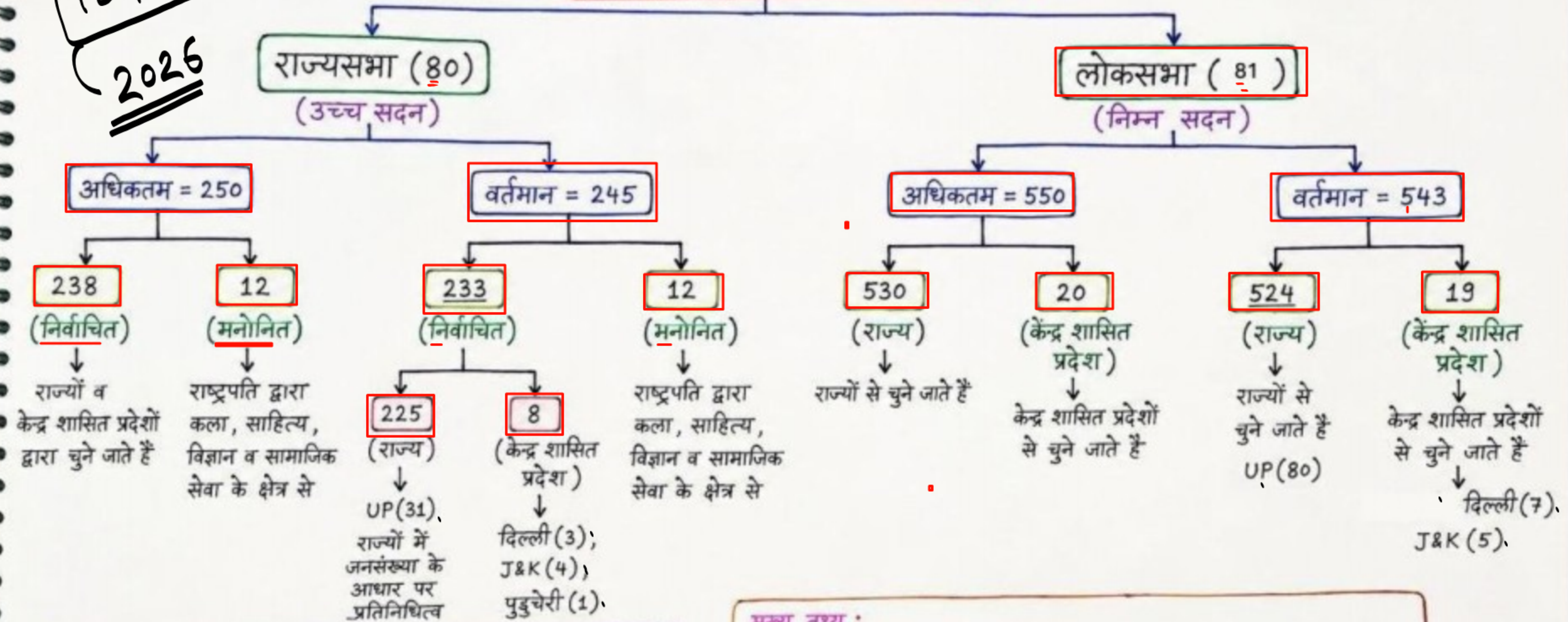
संसद (Parl)

LS

RS

1971.
2026

संसद की संरचना



- ★ भारत में आधार → जनसंख्या
- ★ अमेरिका में आधार → प्रत्येक राज्य से 2 सीटें
(USA में Senate में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व)

मुख्य तथ्य :

- राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता।
- लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है।
- दोनों सदनों की शक्तियाँ, संरचना व कार्य संविधान में निर्धारित हैं।



RS(80)

MAX $\Rightarrow$ 250

वर्तमान (Current) $\Rightarrow$ 245

238

Elected.
निर्वाचित

12

राष्ट्रपति

मनोनित
Nominated.

कुला
साहित्य
संस्कृत विभाग

12

मनोनित
(Nomi)

233

8

UT

245

States.

લોઝસખા = 552

550

543 ✓

સરકાર

272

104 CA 2019

LS ⇒ 2 સીટ = Anglo-Indians / આંગ્લ ભારતીય
→ સમાપ્ત / Repend

XXX

79) — सैलरु डी परिभाषा
Com of प्रश्न.

- राष्ट्रपति (PR) ✓
- लोकसभा (LS) ✓
- राज्यसभा (RS) ✓

80) —> राज्य सभा.

81) —> लोक सभा.

संसद : एक नज़र में

अनु. 79-122

Parliament at a glance

550

लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या

Maximum strength of Lok Sabha

543

लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या

Present strength of Lok Sabha

250

राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या

Maximum strength of Rajya Sabha

245

राज्य सभा की वर्तमान सदस्य संख्या

Present strength of Rajya Sabha

44

भाग V में संसद से जुड़े अनुच्छेद (79-122)

Articles on Parliament in Part V (79-122)

03

अब तक हुई संयुक्त बैठकें

Joint sittings held so far

01

सदनों का गठन एवं संरचना

Constitution and composition of the Houses

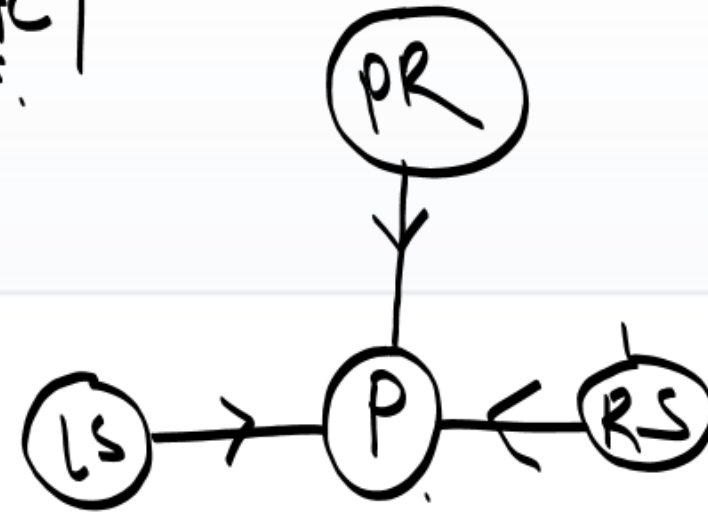
अनुच्छेद 79, 80, 81

संसद का गठन

Constitution of Parliament

अनुच्छेद 79

Bill = LS/RS = RS/LS = PR = Act
विधेयक
Sign.



- 1 भारत में एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन शामिल होंगे।
There shall be a Parliament for India consisting of the President and two Houses.
- 2 राज्यों की परिषद (राज्य सभा) — उच्च सदन; जनता का सदन (लोक सभा) — निम्न सदन।
Council of States (Rajya Sabha) is the Upper House; House of the People (Lok Sabha) is the Lower House.
- 3 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता।
The President is an integral part of Parliament, since no Bill becomes law without his assent.
- 4 भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है।
India's parliamentary system is borrowed from the Westminster model of the United Kingdom.
- 5 राष्ट्रपति सदनों की बैठकों में नहीं बैठता, फिर भी वह संसद का अंग है — यही भारतीय मॉडल की विशेषता है।
The President does not sit in the Houses, yet remains a part of Parliament — a distinctive feature of the Indian model.

लोक सभा और राज्य सभा : आधारभूत तथ्य

तुलना

Lok Sabha and Rajya Sabha : basic facts

लोक सभा

Lok Sabha (House of the People)

- गठन : 17 अप्रैल 1952

Constituted on 17 April 1952

- पहली बैठक : 13 मई 1952

First sitting held on 13 May 1952

- हिन्दी नाम 'लोक सभा' 1954 में अपनाया गया।

The Hindi name 'Lok Sabha' was adopted in 1954.

- सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

Members are directly elected by the people.

- नए संसद भवन में इसका विषय (थीम) — मोर।

Its theme in the new Parliament building is the peacock.

प्रत्यक्ष चुनाव (D.E.)
First past the post

GREEN

राज्य सभा

Rajya Sabha (Council of States)

- गठन : 3 अप्रैल 1952

Constituted on 3 April 1952

- पहली बैठक : 13 मई 1952

First sitting held on 13 May 1952

- हिन्दी नाम 'राज्य सभा' 1954 में अपनाया गया।

The Hindi name 'Rajya Sabha' was adopted in 1954.

- 'स्थायी सदन' तथा 'वरिष्ठों का सदन' भी कहा जाता है।

Also called the 'permanent House' and the 'House of Elders'.

- नए संसद भवन में इसका विषय (थीम) — कमल।

Its theme in the new Parliament building is the lotus.

अप्रत्यक्ष
Indirect election
PR = STV

RED
=

राज्य सभा की संरचना

अनुच्छेद 80

Composition of the Rajya Sabha

- अधिकतम सदस्य संख्या 250 — 238 राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि + 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित।

Maximum strength is 250 — 238 representatives of States and Union Territories plus 12 nominated by the President.
- नामनिर्देशित सदस्य चार क्षेत्रों से — साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा (सूत्र : LiSAS)।

Nominated members come from four fields — Literature, Science, Art and Social service (mnemonic: LiSAS).
- वर्तमान सदस्य संख्या 245 है — 233 निर्वाचित तथा 12 नामनिर्देशित।

The present strength is 245 — 233 elected and 12 nominated.
- 245 और 250 का अंतर इसलिए है कि 238 केवल ऊपरी सीमा है; चौथी अनुसूची में वास्तविक आवंटन 233 सीटों का है।

The gap between 245 and 250 exists because 238 is only a ceiling; the Fourth Schedule actually allots 233 seats.
- सावधान : यह अंतर पाक-अधिकृत कश्मीर या अक्साई चिन की रिक्त सीटों के कारण नहीं है — यह एक प्रचलित भ्रांति है।

Caution: this gap is not due to vacant seats for PoK or Aksai Chin — that is a common misconception.

राज्य सभा में प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन

अनुच्छेद 80

Representation and election in the Rajya Sabha

- सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

Members are elected indirectly by the elected members of the State Legislative Assemblies.
- पद्धति — एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (STV)।

The method is proportional representation by means of the single transferable vote (STV).
- राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें मिलती हैं, इसलिए प्रतिनिधित्व असमान है (अमेरिकी सीनेट के विपरीत)।

Seats are allotted to States on the basis of population, so representation is unequal (unlike the US Senate).
- 2003 से खुली मतपत्र प्रणाली लागू है; कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) में इसे वैध ठहराया गया।

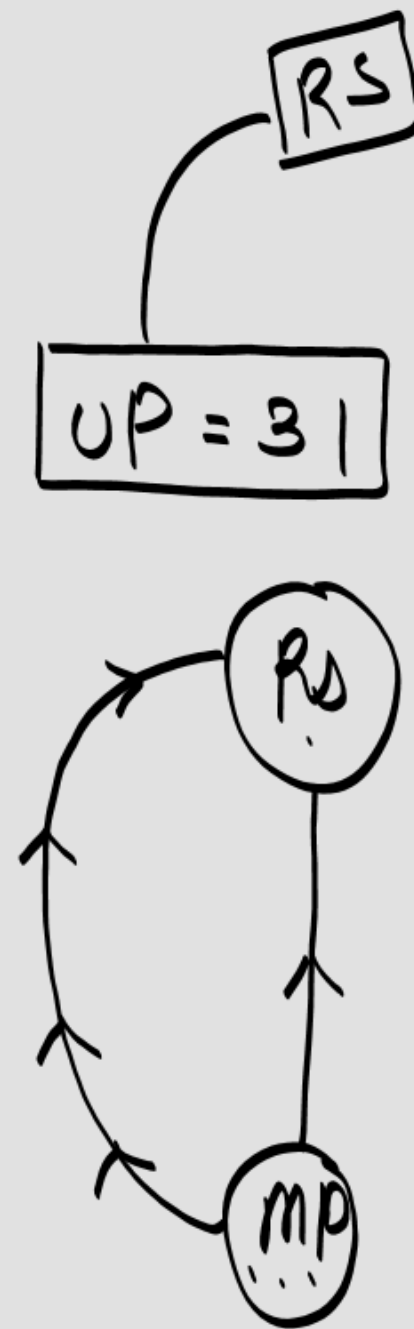
Open ballot has applied since 2003; it was upheld in Kuldip Nayar v. Union of India (2006).
- निर्वाचन की यह पद्धति दक्षिण अफ्रीका से तथा सदस्यों का नामनिर्देशन आयरलैंड से लिया गया है।

This method of election is borrowed from South Africa and the nomination of members from Ireland.

રાજ્યસભા કા
ચુનાવ
Election of
RS.



- ⇒ EC I
- ⇒ અપ્રામદ્ય (Indirect Election)
- ⇒ PR = STV
- ⇒ ચૂના મતદાન (O.B)



Composition of the Lok Sabha

- अधिकतम सदस्य संख्या 550 — राज्यों से अधिकतम 530 तथा संघ राज्यक्षेत्रों से अधिकतम 20।

Maximum strength is 550 — not more than 530 from States and not more than 20 from Union Territories.
- वर्तमान सदस्य संख्या 543 है, जो सभी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं।

The present strength is 543, all of them directly elected.
- पहले अनुच्छेद 331 के अधीन 2 आंग्ल-भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित होते थे।

Earlier, two Anglo-Indian members were nominated by the President under Article 331.
- 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया।

The 104th Constitutional Amendment (2019) ended that provision with effect from 25 January 2020.
- प्रतिनिधित्व में अंतर-राज्यीय तथा अंतः-राज्यीय दोनों स्तरों पर समानता बनाए रखी जाती है।

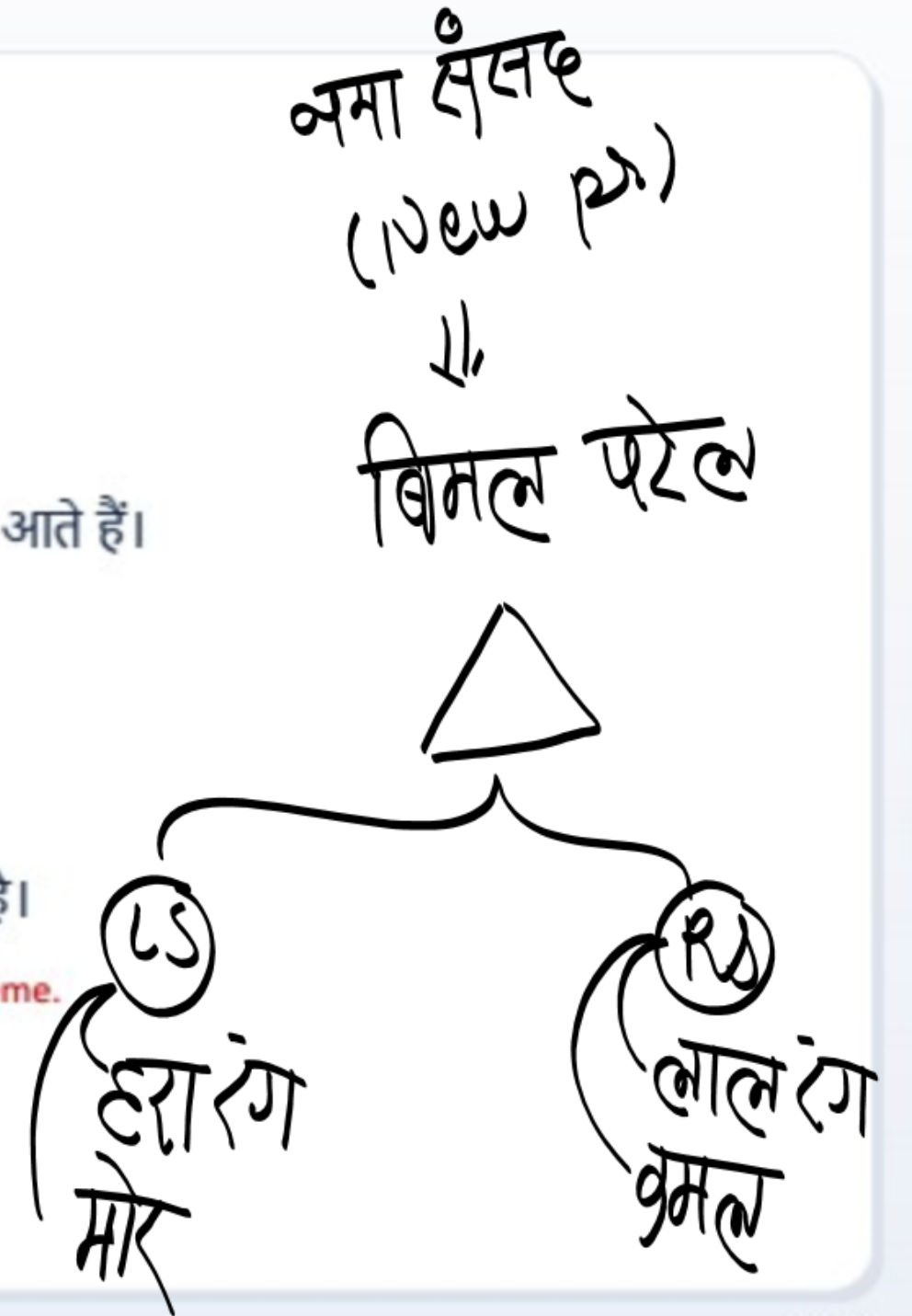
Uniformity of representation is maintained at both the inter-State and intra-State levels.

क्या आप जानते हैं?

रोचक तथ्य

Did you know?

- 1 लोक सभा में हरा कालीन बिछा होता है और राज्य सभा में लाल कालीन।
The Lok Sabha has a green carpet while the Rajya Sabha has a red carpet.
- 2 हरा रंग यह दर्शाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के सदस्य सीधे जनता से चुनकर आते हैं।
Green signifies that India is an agricultural country and that these members are chosen directly by the people.
- 3 लाल रंग शाही भव्यता तथा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए बलिदानों का प्रतीक माना जाता है।
Red is taken to symbolise royal grandeur and the sacrifices made in the freedom struggle.
- 4 नए संसद भवन में लोक सभा कक्ष मोर की थीम पर और राज्य सभा कक्ष कमल की थीम पर बना है।
In the new Parliament building the Lok Sabha chamber follows a peacock theme and the Rajya Sabha a lotus theme.



02

पुनर्समायोजन एवं परिसीमन

Readjustment and delimitation

अनुच्छेद 82

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन

अनुच्छेद 82

Readjustment after every census

- 1 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन किया जाता है।
After every census, seats and territorial constituencies are readjusted.
- 2 यह कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन गठित परिसीमन आयोग करता है।
This work is done by a Delimitation Commission constituted under a law made by Parliament.
- 3 परिसीमन का अर्थ है — निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करने की प्रक्रिया।
Delimitation means the process of fixing the boundaries of territorial constituencies.
- 4 आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं।
Its chairperson is a retired Supreme Court judge and the Chief Election Commissioner is an ex-officio member.
- 5 आयोग के आदेश अंतिम होते हैं और किसी भी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।
Orders of the Commission are final and cannot be challenged in any court.

परिसीमन आयोग एवं प्रमुख संशोधन

परिसीमन

Delimitation Commissions and key amendments

- 1 परिसीमन अधिनियम अब तक चार बार बने — 1952, 1962, 1972 और 2002 में।
Delimitation Acts have been enacted four times so far — in 1952, 1962, 1972 and 2002.
- 2 इनके अधीन आयोग क्रमशः 1952, 1963, 1973 और 2002 में गठित किए गए।
The Commissions under them were set up in 1952, 1963, 1973 and 2002 respectively.
- 3 42वाँ संविधान संशोधन (1976) — सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक स्थिर कर दी गई।
42nd Amendment (1976) froze the number of seats on the basis of the 1971 census until the year 2000.
- 4 84वाँ संविधान संशोधन (2001) — यह रोक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दी गई।
84th Amendment (2001) extended that freeze till the first census taken after 2026.
- 5 87वाँ संविधान संशोधन (2003) — निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना के आधार पर।
87th Amendment (2003) allowed readjustment of constituencies on the basis of the 2001 census instead of 1991.

03

सदनों की अवधि

Duration of the Houses

अनुच्छेद 83

1971 → 2026

अंगसंख्या
1971 → 121 = 701 = 701
121 = 301 = 301
Answer

सदनों की अवधि

Duration of the Houses

अनुच्छेद 83

राज्य सभा

Rajya Sabha

- यह एक स्थायी सदन है और विघटन के अधीन नहीं है।

It is a permanent House and is not subject to dissolution.

- इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

One-third of its members retire every second year.

- सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

The term of its members is six years.

- 6 वर्ष की अवधि संविधान में नहीं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई है।

The six-year term is fixed by the Representation of the People Act 1951, not by the Constitution.

लोक सभा

Lok Sabha

- सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

Its normal term is five years.

- 42वें संशोधन (1976) ने इसे 6 वर्ष किया; 44वें संशोधन (1978) ने 5 वर्ष बहाल किया।

The 42nd Amendment (1976) made it six years; the 44th (1978) restored five.

- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे समय से पहले भंग कर सकते हैं।

The President may dissolve it before time on the advice of the Council of Ministers.

- राष्ट्रीय आपातकाल में इसे एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है; आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य।

During a National Emergency it may be extended one year at a time; elections must follow within six months of its end.

RD Mem = 6 YER
हर 2 साल 1/3
RPA 1951

Con / स्थिति
= LS (11)
= 352 $\Rightarrow$ NUF

एक बार
एक साल

1950 = LS = 5 YEAR

42(A) 1976 $\Rightarrow$ (5) (6)
44(A) 1978 $\Rightarrow$ (6) (5)

सबसे छोटी लोक सभा

तथ्य

The shortest Lok Sabha

12वीं

सबसे कम अवधि तक चलने वाली लोक सभा

The Lok Sabha that lasted the shortest time

1998

गठन — 10 मार्च 1998

Constituted on 10 March 1998

1999

विघटन — 26 अप्रैल 1999

Dissolved on 26 April 1999

~13

कुल अवधि लगभग 13 माह

Total duration about thirteen months

270

उपाध्यक्ष चुनने में लगे दिन — अब तक का रिकॉर्ड

Days taken to elect its Deputy Speaker — a record

2019

तब से लोक सभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है

The office of Deputy Speaker has lain vacant since then

04

सदस्यता की योग्यताएँ

Qualifications for membership

अनुच्छेद 84

संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएँ

Qualifications for membership of Parliament

अनुच्छेद 84

102
अयोग्यताएँ

84

योग्यताएँ (Qualifications)

भारत का नागरिक

LS = 25

RJ = 30

1 व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

The person must be a citizen of India.

2 राज्य सभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोक सभा के लिए 25 वर्ष।

The minimum age is thirty years for the Rajya Sabha and twenty-five for the Lok Sabha.

3 उसे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है।

He must make an oath or affirmation before a person authorised by the Election Commission.

4 अन्य योग्यताएँ संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है — जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951।

Other qualifications are prescribed by Parliament by law, such as the Representation of the People Act, 1951.

5 राज्य सभा के लिए उसी राज्य का निवासी/मतदाता होने की शर्त 2003 में समाप्त कर दी गई।

The requirement of being a voter of the same State for the Rajya Sabha was removed in 2003.